

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2623]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2623]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3464(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के जोरहाट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के 439.000 कि.मी. से कि.मी. 453.000 तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व), जिला जोरहाट, असम, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 के 439.000 कि.मी. से 453.000 कि.मी. के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मौजा का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक/सर्वेक्षण संख्या डैग (पट्टा) संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जोरहट	1. परबतिया	(1) चरिंगिया	1155 (सरकारी)	सरकारी	सरकारी	0.0642
				2007 (सरकारी)	सरकारी	सरकारी	0.0789
				965 (सरकारी)	सरकारी	सरकारी	0.024
				2429 (626)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0469
			(2) इरालटोली पोथार	128 (59)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0495
			(3) कोरायखुआ	299 (111)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0348
				301 (79)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0751
				310 (109)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0535
				313 (139)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0268
				315 (एपी)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0281
				290 (176)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0040
			(4) रंगागबोराह खुटी	284 (109)	सामयिक पट्टा	बरती	0.1821
				169 (7)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				178 (सरकारी)	सरकारी	कृषि	1.7296
		2. चरायबाही	(1) पोकिमुरुहबी	121	सरकारी	बरती	0.5208
				123	सरकारी	बरती	
				124	सरकारी	बरती	
				125	सरकारी	बरती	
				129	सरकारी	बरती	
				199	सरकारी	बरती	
				119/193	सरकारी	बरती	
				133	सरकारी	बरती	
				136	सरकारी	बरती	
				137	सरकारी	बरती	
				141	सरकारी	बरती	
				142	सरकारी	बरती	
				145	सरकारी	बरती	
		3. खोंगिया	(1) पनिककुआ गाँव	50 (103)	सामयिक पट्टा	बरती	0.0589

[फा. सं. भाराप्रा/11013/01/2010/अधिसूचना/पीआईयू-एलएमडी]

माया प्रकाश, उप-सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3464(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 37 on the stretch of land from Km. 439.000 to Km. 453.000 in District Jorhat, in the State of Assam, hereby declares its intention to acquire such land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty one days (21) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Additional Deputy Commissioner (Revenue), Jorhat District, Assam in writing, and shall set out the grounds thereof and the said Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 3C of the said act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of Land (Left out) to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 439.000 to km 453.000 on the National Highway No. 37 in the State of Assam.

Serial number	Name of the district	Name of taluk/ mouza	Name of village	Block/Survey Number Dag (Patta) number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jorhat	1. Parbatia	(1) Charingia	1155 (Govt.)	Govt.	Govt.	0.0642
				2007 (Govt.)	Govt.	Govt.	0.0789
				965 (Govt.)	Govt.	Govt.	0.024
				2429 (626)	Periodic Patta	Basti	0.0469
			(2) Eraltoli Pothar	128 (59)	Periodic Patta	Agri	0.0495
			(3) Koraikhuwa	299 (111)	Periodic Patta	Basti	0.0348
				301 (79)	Periodic Patta	Basti	0.0751
				310 (109)	Periodic Patta	Basti	0.0535
				313 (139)	Periodic Patta	Basti	0.0268
				315 (AP)	Periodic Patta	Basti	0.0281
				290 (176)	Periodic Patta	Agri.	0.0040
			(4) Rangagborah Khuti	284 (109)	Periodic Patta	Basti	0.1821
				169(7)	Periodic Patta	Agri.	0.0067
				178 (Govt.)	Govt.	Agri.	1.7296

		2. Charaibahi	(1) Pokimurihabi	121	Govt.	Basti	0.5208
				123	Govt.	Basti	
				124	Govt.	Basti	
				125	Govt.	Basti	
				129	Govt.	Basti	
				199	Govt.	Basti	
				119/193	Govt.	Basti	
				133	Govt.	Basti	
				136	Govt.	Basti	
				137	Govt.	Basti	
				141	Govt.	Basti	
				142	Govt.	Basti	
				145	Govt.	Basti	
		3. Khongia	(1) Panichakua gaon	50 (103)	Periodic Patta	Basti	0.0589

[F. No. NHAI/11013/01/2010-LA/Notif./PIU-LMD]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.